राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय राज0 जयपुर

क्रमांक:एस्टे/एम/एफ.10( )आरएमएस(टी)/डीएलबी/18/2744-844 दिनांक: 20/04/18

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त ....।

विषय:– नवनियुक्त परीवीक्षाधीन सहायक अभियन्ता (सिविल/ पर्या0 व ठोस कचरा प्रबंधन/ विद्युत/ यांत्रिक) को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिये जाने हेतु।

प्रसंग:– विभागीय अधिसूचना कमांक 6547 दिनांक 20.03.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान नगर पालिका सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा चयनित व नवनियुक्त परीवीक्षाधीन सहायक अभियन्ता (सिविल/ पर्या0 व ठोस कचरा प्रबंधन/ विद्युत/ यांत्रिक) को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के शेड्यूल IV के अनुसार नियत पारिश्रमिक देय है, जो वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के द्वारा दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी है। अतः उपरोक्तानुसार नियत पारिश्रमिक के भुगतान के साथ ही उक्त अधिसूचना के बिन्दु 11 की पालना में संबंधित के वेतन से एन0पी0एस0 (New Pension Scheme) के तहत् नियमानुसार 10 प्रतिशत की कटौती किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त सहायक अभियन्ताओं की मूल सेवा–पुस्तिका, वर्तमान पदस्थापन नगर निकायों द्वारा तैयार व संधारित की जावेगी तथा निदेशालय, जयपुर में कार्यरत परीवीक्षाधीन सहायक अभियन्ताओं की मूल सेवा–पुस्तिका, संबंधित को वेतन–भुगतानकर्ता नगर निकाय द्वारा तैयार व संधारित की जावेगी।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक